न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

I.DNo-UP 5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1232/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–2656/2026

CNR No. UPLP 0100 5635-2026

मीरा उम्र 52 साल पत्नी राजेश भास्कर निवासी सिंगाही खुर्द, थाना सम्पूर्णानगर, जिला लखीमपुर खीरी।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अपराध संख्या–83/2026
धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 एवं
धारा 3/4 डी0पी0 एक्ट,
थाना–सम्पूर्णानगर,
जिला लखीमपुर खीरी।

<u>28.07.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र, प्रार्थिनी/अभियुक्ता मीरा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–83/2026 धारा–85, 80(2) बी0एन0एस0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–सम्पूर्णानगर, जिला–लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षिप्त अभियोजन कथनानुसार वादी मुकदमा लल्लूराम ने दिनांक–11.06.2026 को संबंधित थाने पर तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि उसकी बहन लाली देवी का विवाह दिनॉक–02.05.2023, को अभिषेक के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार हुआ था। वादी ने अपनी हैसियत के अनुसार विवाह में दान–दहेज दिया था। शादी के कुछ दिन बाद विपक्षीगण पति अभिषेक भास्कर, ससुर राजेश भास्कर, ननद रिया भास्कर, सास मीरा, अनिकेत भास्कर, राकेश भास्कर, आदेश, पुनीता, रानी, अभिषेक की चचेरी बहन दिव्या व श्रृद्धा, कशिश, केशव आदि लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे, अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन

को दहेज का ताना देते हुये प्रताड़ित व परेशान करने लगे। घटना दिनॉक–10.06.2026, को समय करीब 12:24 पर वादी के बहनोई अभिषेक का फोन आया कहा कि अपनी बहन को ले जाओ वरना इसे जान से मार देंगे। वादी ने कहा बहन से बात कराओ तो वादी ने अपनी बहन से बात की तो उसकी बहन रो–रो कर कहने लगी कि उसे यहॉ से ले जाओ, उसका हाथ नहीं उठ रहा है, गले पर चाकू भी रख दिये हैं। इतने में वादी के बहनोई ने फोन काट दिया। करीब समय 01:30 बजे वादी के पास पुनः फोन आया कि उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है, आकर देखो। इतने में वादी के घर पर हलचल मच गयी और वह आनन–फानन में बहन के घर पहुॅचा तो देखा कि उसकी बहन क्षत–विक्षत अवस्था में मृत पड़ी मिली। उसकी बहन के शरीर पर काफी चोटें भी थी, जिससे उसको आभास हुआ कि उसकी बहन को उपरोक्त विपक्षीगण ने जानबूझकर जान से मार डाला है, जिससे उसकी बहन की मृत्यु हो गयी। उसकी बहन के ननद व नन्दोई आये दिन उसकी बहन के पति को उकसाते रहते थे। विपक्षीगण ने जान से मारने से पहले उसकी बहन को काफी मारा–पीटा व मानसिक रूप से आये दिन परेशान करते रहते थे। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता व सह अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले की विवेचना प्रचलित है।

4– प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल आधार यह लिये गये हैं कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता सर्वथा निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, मात्र रंजिश के कारण नामित कर दिया गया है। कथित घटना दिनॉक–10.06.2026, की होनी कही जाती है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मश्विरा के आधार पर दिनॉक–11.06.2026, को विलम्ब से अंकित करायी गयी है, विलम्ब का कारण दर्शित न होना घटना को बनावटी प्रतीत करता है। कथित घटना से प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता, मृतका व उसके पति से विवाह के बाद से ही अलग निवास करने लगी थी तथा उसका खाना–पीना भी अलग होता था। प्रार्थिनी/अभियुक्ता ने किसी प्रकार से कभी मृतका अथवा उसके परिवार वालों से दहेज आदि की मांग नहीं की, न ही दहेज न मिलने पर मारा–पीटा या प्रताड़ित किया है। यदि ऐसा होता तो मृतका अथवा उसके परिवार के लोग पूर्व में किसी भी सक्षम अधिकारी अथवा थाने पर किसी प्रकार की शिकायत करते, ऐसा न होना घटना को बनावटी साबित करता है।

वास्तविकता यह है कि मृतका के पेट में असहनीय दर्द काफी समय से होता था, जिसका इलाज समय–समय पर कराया गया, मृतका के असहनीय दर्द पेट में होने लगा, जिसे वह सहन नहीं कर पायी और स्वयं फॉसी लगाकर आत्महत्या कर उक्त घटना को अन्जाम दिया है। दौरान पंचनामा व पी0एम0, मृतका के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान का न होना घटना को संदिग्ध प्रतीत करता है। दौरान पंचनामा वादी मुकदमा व उसका भाई पंचायतनामा से सहमत थे और हस्ताक्षर किये हैं। वादी मुकदमा की अनुचित मांग पूरी न होने के कारण राय मश्विरा के आधार पर मुकदमा कायम करा दिया है। कथित घटना के समय प्रार्थिनी/अभियुक्ता अपने दूसरी निवास पर थी। प्रार्थिनी/अभियुक्ता पूर्व की सजायाफ्ता आपराधिक नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत पर रिहा होकर जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगी। उक्त आधारों पर दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से अतिरिक्त दहेज में की मांग की गयी और मांग पूरी न होने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा विवाह के सात वर्ष के अन्दर ही उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता मृतका की सास है। सह अभियुक्त रिया भास्कर, जो कि मृतका की ननद है, की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता मृतका की सास है और तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अन्दर ही असामान्य परिस्थितियों में ससुराल में कारित हुयी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर मृत्युपूर्व की सात चोटें आना दर्शित है तथा मृतका की मृत्यु का कारण Death is due to asphyxia as a result of antemortem hanging होना अंकित है। वादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थिनी/अभियुक्ता एवं अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा

मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग किये जाने व मांग पूरी न होने के कारण मृतका को मारपीट कर प्रताड़ित किए जाने तथा मृतका की दहेज मृत्यु किए जाने का कथन किया है। प्रश्नगत मामले की विवेचना प्रचलित है। सह अभियुक्ता रिया भास्कर, जो कि मृतका की ननद है, की जमानत निरस्त की जा चुकी है। पत्रावली पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8– अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर, प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थिनी/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता मीरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की एक प्रति प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

(शिव कुमार सिंह)
दिनॉक–28.07.2026 सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
I.DNo-UP 5743

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.29 10:54:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court